राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 187/2025

दुर्गाराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक सह संयुक्त शासन सचिव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सचिवालय, जयपुर।
3. रिजनल जाइंट डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर मार्केटिग विभाग, मण्डोर मण्डी परिसर, जोधपुर।
4. एडमिनिशट्रेटर, Ariculture Porduce Market Committee, (Grain), भगत की कोठी, जोधपुर।
5. सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, Secreatray Ariculture Porduce Market Committee, (Grain) Jodhpur.

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.01.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश विश्नोई, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सचिव के पद पर कृषि उपज मण्डी समिति, भगत की कोठी, जोधपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कृषि उपज मण्डी समिति, बिलाड़ा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का 9 वर्षीय पुत्र ब्लड केंसर (Acute Lymphoblastic Leukemia) से ग्रसित है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण उसके पदस्थापन स्थान से 150 किमी. दूर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का दूरस्थ स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को

विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए अपास्त किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का 9 वर्षीय पुत्र ब्लड केंसर से पीड़ित है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)